

न्यायालय में तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 367/18 तारीख रज 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का 608 बनाम
श्री पिन्दू पुत्र लाल सिंह जाति जाट निवासी श्रीवाड़ा तहसील

महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री पिन्दू ने ग्राम श्रीवाड़ा को भूमि ख.न. 560 रकबा 0.02 किस्म जोमुरास्ता फसल रबि / खरीफ संवत 20 74 अरसा में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 रकबा 0.02 किस्म जोमुरास्ता वाके ग्राम श्रीवाड़ा से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.64 50 गुणा 32 अरसा शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल अरसा को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/व को 120 पर
वर्ष 2017-18
की राशि 32
की जमा कायमा अरसा
दिनांक 15/3/18 तहसील-महवा

महवा
आ. तहसीलदार महवा
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)